न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: जयसिंह (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 04/2021

सरकार बनाम पन्नालाल पुत्र मालाराम उर्फ मालिया, जाति– कुम्हार, निवासी– वार्ड नं. 20 सूरजगढ़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 09.02.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थिति। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल पन्नालाल पुत्र मालाराम उर्फ मालिया, जाति–कुम्हार, निवासी– वार्ड नं. 20 सूरजगढ़ ने मौजा सूरजगढ़ की राजकीय भूमि ख.नं. 1100 रकबा 1.00 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ पर तार बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर उसका कब्जा काश्त रहा है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के कारण उसकी ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में दिनांक 15.09.2021 को दावा भी पेश किया हुआ है। चूंकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का से उक्त गै.मु. रास्ते की रिकॉर्डेड भूमि पर गैर सायल का अतिक्रमण साबित होता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 30 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं....17.... पर
वर्ष 2020-21 में रुपये...30/– कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(जयसिंह)
तहसीलदार, सूरजगढ़